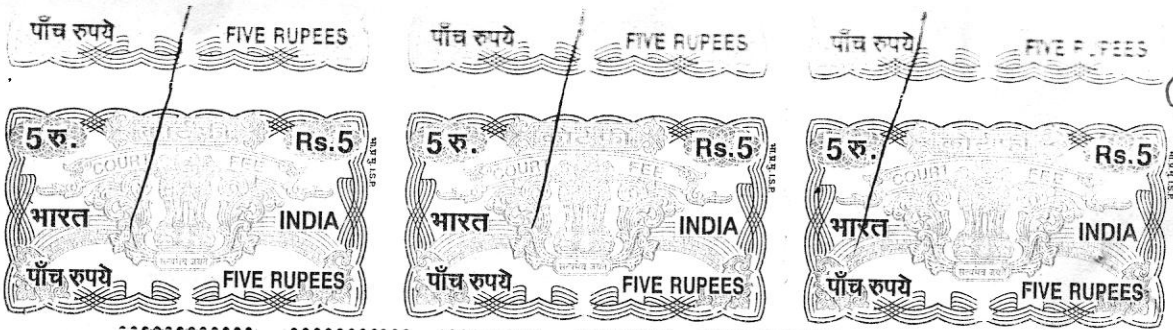

पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक- /2016/निगरानी निग-482-III-16

दिनाँक 4-2-16 को श्री ... ... द्वारा प्रस्तुत। 4-2-16 50

स्वामी रामविलास गुरु वैद्य निर्मल राम शास्त्री, आयु-62वर्ष, निवासी- मकान नम्बर-4, घण्टा घर चौराहा, बुदाना सैलाना, जिला रतलाम (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला रतलाम (म0प्र0)
2. अनुविभागीय अधिकारी सैलाना उपखण्ड (राजस्व), सैलाना जिला रतलाम (म0प्र0)
3. तहसीलदार नजूल सैलाना जिला रतलाम (म0प्र0)
4. नगर पंचायत सैलाना द्वारा मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पंचायत सैलाना जिला रतलाम (म0प्र0)

S.L. Dhakad 4/2/16

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

----अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

XXXa BR H-11

------ स्वामी रामविलास/शासन

प्रकरण क्रमांक निग0 482–तीन/16 जिला –रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–2–166	आवेदक द्वारा कलेक्टर रतलाम के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की इसके साथ ही धारा- 48 के अंर्तगत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने तक छूट दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । निगरानी एवं धारा –48 के अंर्तगत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया । निगरानी आवेदन पत्र में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि कलेक्टर रतलाम के किस आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है । आवेदन पत्र में न तो न्यायालय का नाम है, न प्रकरण क्रमांक, एवं न आदेश दिनांक का उल्लेख किया है । धारा -48 के आवेदन पत्र में भी उक्त आदेश के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी । आवेदन द्वारा आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने का समय मांगा है परन्तु आदेश की विषय वस्तु आदेश का क्रमांक दिनांक एवं कितने दिन में आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर देगा इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । अतः उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी याचिका एवं धारा- 48 के अंर्तगत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है । सदस्य	